न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–189/2010/भीलवाड़ा (2010/00008)

1. रामेश्वरलाल,
2. माधवलाल,
3. जगदीश,
4. नानालाल,
5. मिठूलाल,
6. बादाम बाई बैवा चतुर्भुज,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम झलौल, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

अपीलांट्स

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र सूरजमल (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– मु0 गोदावरी बैवा बंशीलाल,
   1/2– सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल,
   1/3– अमरती,
   1/4– कैलाशी,
   1/5– यशोदा,
   1/6– हरी,
   1/7– लक्ष्मी
   पुत्रियां बंशीलाल,
   समस्त निवासी झाडोल, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
2. बाबू उर्फ बालूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1– डालचन्द पुत्र बालूराम, नि0 झडौल, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
   2/2– कमला पुत्री बालुराम, नि0 ग्राम आशहोली, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।
   2/3– मांगी पुत्री बालुराम, नि0 ग्राम झूणदा, तह0 रेलमगरा, जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान सरकार ।
4. सोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाट, नि0 झडोल, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 28.5.2005 नामांतकरण संख्या 137 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 16.8.2018

अपीलांट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28.5.2005 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारान के मध्य हुए आपसी बंट्वारा के अनुसार नायब तहसीलदार, रायपुर ने अपने आदेश दिनांक 28.5.2005 द्वारा नामांतकरण संख्या 137 विवादित आराजियात खसरा नंबर 1171, 1172, 3047/1172, 3048/1172 एवं 3049/1172 अवस्थित ग्राम झडोल, तहसील रायपुर बाबत् तस्दीक करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/7 के उपस्थित होने पर प्रकरण में विद्धान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1/1 लगायत 1/7 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार, रायपुर ने नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28.5.2005 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस नहीं दिया एवं बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकतरफा में बिना कोई जांच किये नामांकरण आदेश पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । विद्धान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने जिस कथित बंट्वारानामा पर नामांतकरण आदेश पारित किया है उस बंट्वारानामा पर बंशीलाल के फर्जी हस्ताक्षर है एवं बंट्वारानामा के पूर्व ही बंशीलाल का दिनांक 25.4.2001 को देहांत हो गया था किन्तु नायब तहसीलदार ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध नामांतकरण आदेश पारित कर दिया जो प्रारंभ से शून्यप्रभावी एवं काबिल निरस्तनीय है। विद्धान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि तथाकथित बंट्वारानामा फर्जी है जिस पर फर्जी हस्ताक्षर करके पेश किया गया है । अधी0न्याया0 को नामांतकरण की कार्यवाही से पूर्व अपीलांट्स को साक्ष्य

एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके ही नामांतकरण स्वीकृत करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28. 5.2005 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, रायपुर ने प्रार्थीगण/अपीलांट्स को नोटिस दिये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा में नामांतकरण संख्या 137 दिनाक 28.5.2005 को स्वीकृत किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी गांव में पटवारी हल्का के पास रिकार्ड देखने पर दिनांक 3.11.2010 को हुई तब प्रार्थीगण ने दिनांक 4. 11.2010 को नामांतकरण संख्या 137 की प्रमाणित नकल एवं विधिक राय प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विद्वान नायब तहसीलदार, रायपुर ने पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारानामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 137 निर्णित किया है । अपीलाधीन नामांतकरण की अपीलांट्स को प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट्स ने नामांतकरण के 5 वर्षो बाद जानबूझकर रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से नामांतकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स विवादित आराजियात के सहखातेदार है तथा अधी0न्याया0 ने बंटवारेनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 137 निर्णित करने से पूर्व अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलांट्स को अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 137 की जानकारी प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । वैसे भी मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियार शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, रायपुर ने नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28.5.2005 को बंटवारानामा के आधार पर स्वीकृत किया है । अपीलांट्स का मुख्य कथन रहा है कि बंटवारानामा पर बंशीलाल के फर्जी हस्ताक्षर है जबकि बंशीलाल का बंटवारानामा के पूर्व ही दिनांक 25.4.2001 को देहांत

हो चुका था। अपीलांट्स का यह भी कथन रहा है कि तथाकथित नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार के नोटिस नहीं दिये गये एवं ना ही अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । पत्रावली में उपलब्ध अधिकार अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स विवादित आराजियात के सहखातेदार है तथा सहखातेदारी की आराजियात बाबत् किसी भी प्रकार का आदेश पारित किये जाने से पूर्व सहखातेदार को सुना जाना आवश्यक है । नामांतकरण संख्या 137 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने स्वेच्छिक बंटवारा के आधार पर नामांतकरण भर कर प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीलदार ने दिनांक 28.5.2005 को स्वीकृत किया । उक्त अंकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अधी0न्याया0 ने उक्त नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व विवादित भूमि के समस्त खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया हो अथवा कब्जे की जांच की गई हो । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28.5.2005 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा नायब तहसीलदार, रायपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28.5.2005 अपास्त योग्य एवं प्रकरण नायब तहसीलदार, रायपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 189/2010 (2010/00008) बउनवानी रामेश्वरलाल बनाम बंशीलाल को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा नायब तहसीलदार, रायपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 137 दिनांक 28.5.2005 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि बंटवारानामा की जांच कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नामांतकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर